तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5-9-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपस्थित जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नाकेरी (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 70 / 2024
दायरा दिनांक 22.07.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

बृजबिहारी आत्मज श्री कल्याण लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र – सीमांकन, पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ता:– 1. श्री अब्दुल सत्तार(अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी (सरकार पैरोकार)

दिनांक:– 05.09.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम माखिदा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा खाता संख्या 140 पुराना 125 के खसरा संख्या 126 / 1056 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 130 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 33 रकबा 0.72है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.54है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.55है0 प्रार्थी के खाते व कब्जेकाश्त की है। उपरोक्त खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 प्रार्थी की भूमि के चारों ओर अन्य खातेदारो की कृषिभूमि है प्रार्थी ने उक्त कृषिभूमियों को कृषि योग्य बनाया है और कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थी की कुछ भूमि अन्य कृषिभूमियों में दबी हुई है जिससे प्रार्थी की भूमि सिकुड गयी है जितनी भूमि प्रार्थी के खाते पर है उतनी भूमि मौके पर नहीं है। पडौसी काश्तकार प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या की भूमि अतिक्रमण कर सीमाओं को मिटाना चाहते है। भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ होने की वजह से उन्हे अप्रार्थी के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 कृषिभूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)।

कृषि भूमि वाके ग्राम माखीदा खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 प्रार्थी के कब्जेकाश्त की है मौके पर कोई विवाद नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर कोई विवाद न्यायालय का स्थगन नहीं है। उपर्युक्त वर्णित कृषिभूमि खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 वाके ग्राम माखीदा का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्राप्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकार की ग्राम माखीदा के खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 कृषिभूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2072—75 का अवलोकन करन से अवगत होता है कि खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0 कृषि भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में 2/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषिभूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को करवाया गया है जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा एवं कोई विवाद नहीं होना अवगत करवाया गया है। चूंकि प्रार्थी प्रार्थना में वर्णित कृषिभूमि अन्य कृषिभूमियों में दबी हुई होने से मौके पर भूमि रिकॉर्ड से कम होने से पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है उसे उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी कृषि भूमि को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कृषिभूमि सहखातेदारी में दर्ज होने से सहखातेदारों की सहमति के बिना सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निदेर्शित किया जाता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2072—75 खसरा संख्या 27 रकबा 1.13हैक्टर वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ का सहखातेदारों की सहमति से नियमतः सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किया जावे। मौके पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिती में प्रकरण पुनः न्यायालय में अन्दर 3 माह लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)